

कार्यालय महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला।

विज्ञापित

शिक्षु अधिनियम 1961 के अनतर्गत निम्नलिखित अप्रेंटिसों को चयन हेतु दस्तावेजों की जांच दिनांक:-15.09.2023 को की जाएगी। जिसके लिए शिक्षुओं का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1.	Diesel Mechanic	13
2.	Motor Mechanic Vehicle	08
3.	Painter	01
4.	Carpenter	03
5.	Welder	03
6.	C.O.P.A	02
7.	Electrician	07 (Wireman and other not allowed)
8.	Tyre Repairer	04 (Only for non ITI)
9.	Steno Hindi	05
10.	Steno English	01

इच्छुक शिक्षु अपने मूल दस्तावेजों सहित महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला के कार्यालय नजदीक अग्रसैन चौक, अम्बाला शहर में दिनांक:-15.09.2023 को प्रातः 09:30 बजे आएंगे। जहां पर उनके सभी मूल दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। इच्छुक प्रार्थी अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक:-24.08.2023 से दिनांक:-08.09.2023 तक Website <http://www.apprenticeshipindia.org> पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है दिनांक:-24.08.2023 से पहले व दिनांक:-08.09.2023 को सांय 05:00 बजे के बाद किया गया ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। इच्छुक प्रार्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की कॉपी व मूल दस्तावेजों के साथ उनकी छायाप्रति साथ लेकर आए। सफल शिक्षुओं का चयन आईटीआई के में अर्जित अंकों की मैरिट के आधार पर किया जाएगा।

सभी प्रशिक्षु अपने मूल दस्तावेजों के साथ-2 एक Affidavit (शपथ पत्र) लेकर आए जिसमें प्रशिक्षु द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि उस द्वारा इससे पूर्व अप्रेंटिस नहीं की गई है।


महाप्रबंधक,

हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला।

पृ० क्र० 1905-07

/ईसीजी

दिनांक:- 22/08/2023

- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा, चंडीगढ़(कम्प्युटर सैल)
 2. आईटीआई अम्बाला शहर।
 3. आदेश मिसल।


महाप्रबंधक,

हरियाणा राज्य परिवहन, अम्बाला।